मणपिुर, त्रपिुरा और मेघालय का स्थापना दविस

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने मणपिुर, त्रपिुरा और मेघालय को उनके स्थापना दविस (21 जनवरी) पर शुभकामनाएँ दीं।

स्थापना दविस का ऐतहिासकि संदर्भ क्या है?

- **मणपिुर का वलिय:** वर्ष 1947 से पहले मणपिुर एक स्वतंत्र रयिासत थी। **महाराजा बोधचंद्र सहि** ने भारत सरकार के साथ 'परगि्रहण के साधन (Instrument of Accession)' पर हस्ताक्षर कयि, जसिमें आंतरकि स्वायत्तता सुनश्चिति करते हुए भारत में वलिय पर सहमत व्यिक्त की गई।
  - मणपिुर में **सार्वभौमकि वयस्क मताधकिार के आधार पर पहला चुनाव वर्ष 1948** में हुआ और यह एक **संवैधानकि राजतंत्र** बन गया।
  - वर्ष 1949 में भारत सरकार के दबाव में **महाराजा ने** मणपिुर की नरि्वाचति वधिानसभा से परामर्श कयि बनि **वलिय समझौते पर हस्ताक्षर** कर दयि।
    - वलिय के बाद, मणपिुर की राज्य वधिानसभा भंग कर दी गई, और यह **भाग C राज्य** बन गया, जसिका **प्रशासन भारत के राष्ट्रपत** **द्वारा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल** के माध्यम से कयिा जाता था।
  - 1 नवंबर 1956 को मणपिुर **संघ राज्यक्षेत्र परषिद अधनियिम, 1956 के अंतर्गत एक केंद्र शासति प्रदेश** बन गया। बाद में 21 जनवरी 1972 को **पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधनियिम, 1971 (NEA-(R) अधनियिम)** के माध्यम से मणपिुर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान कयिा गया।
- **त्रपिुरा का वलिय:** त्रपिुरा एक रयिासत थी, जसिका वर्ष 1949 में भारत में वलिय हुआ, जसिकी अनुमत **रानी कंचन प्रभा देवी** ने दी, जन्होंने **राजा बीर बक्रिम** की मृत्यु के बाद शासन संभाला था।
  - भारत में वलिय के बाद **त्रपिुरा भाग 'C' राज्य** बन गया। वर्ष 1956 में यह **केंद्र शासति प्रदेश** बन गया और बाद में 21 जनवरी 1972 को **NEA- (R) अधनियिम, 1971** के तहत त्रपिुरा एक पूर्ण राज्य बन गया।
- **मेघालय:** मेघालय की राज्य की यात्रा **असम**, वशिष रूप से **खासी, जैंतयिा और गारो हलि्स** की ओर से **अधकि स्वायत्तता की मांग** के साथ शुरू हुई, जो स्वदेशी संस्कृतयिों को संरक्षति करने के लयि एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। यह मेघालय के राज्य बनने की दशिा में आगे बढ़ने की शुरुआत थी।
  - **वर्ष 1969 में असम पुनर्गठन (मेघालय) अधनियिम द्वारा मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की गयी।**
  - तत्पश्चात, NEA (R) अधनियिम, 1971 ने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा प्रदान कयिा, जसिसे यह भारत का 21 वाँ राज्य बन गया, जसिकी राजधानी शलिांग थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधनियिम, 1971

- **मणपिुर और त्रपिुरा:** केंद्र शासति प्रदेशों से पूर्ण राज्यों के रूप में उन्नयन कयिा गया।
- **मेघालय:** असम के स्वायत्त क्षेत्रों से एक राज्य के रूप में गठति।
- **मज़िोरम और अरुणाचल प्रदेश:** केंद्र शासति प्रदेश के रूप में स्थापति।
- **वधिानमंडल में प्रतनिधित्वि:** नए पूर्वोत्तर राज्यों के लयि **राज्य परषिद** (राज्यसभा) और **लोकसभा** (लोकसभा) में सीटें आवंटति की गईं।
  - वधिान सभाओं में अनुसूचति जातयिों और अनुसूचति जनजातयिों का उचति प्रतनिधित्वि सुनश्चिति कयिा गया।
- **न्यायकि पुनर्गठन:** असम, नगालैंड, मेघालय, मणपिुर और त्रपिुरा राज्यों के लयि सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में **गुवाहटी उच्च न्यायालय** की स्थापना की गई।

//

भारत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन का सुझाव दिया था।
वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

1950

राज्यों को **4 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया - **भाग A, B, C और D** (प्रथम अनुसूची)

- **भाग A- निर्वाचित राज्य विधानमंडल**, जो **राज्यपाल** द्वारा शासित होंगे
  - **आंध्रप्रदेश** (भाषायी आधार पर गठित पहला राज्य)- **1953**
- **भाग B-** पूर्व **रियासतें**
- **भाग C-** पूर्व **मुख्य आयुक्तों** के प्रांत, कुछ **रियासतें**
- **भाग D-** अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7वाँ संविधान संशोधन (1956)

- भाग-A और भाग-B के राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया
- भाग-C के राज्यों को समाप्त कर दिया गया
- (पूर्ववर्ती) राज्यों की कुल संख्या 14 और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 6 है

वर्ष 1956 के पश्चात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन/निर्माण

अन्य राज्यों से अलग हुए राज्य

- बॉम्बे से **गुजरात** और **महाराष्ट्र** (बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960)
- असम से **नगालैंड** (नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962)
- पंजाब से **हरियाणा** (पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966)
- असम से **मेघालय** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- मध्यप्रदेश से **छत्तीसगढ़** (मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- उत्तर प्रदेश से **उत्तराखंड** (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- बिहार से **झारखण्ड** (बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
- आंध्र प्रदेश से **तेलंगाना** (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014)

राज्य का दर्जा देने के पश्चात् गठित राज्य

- **हिमाचल प्रदेश** (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970)
- **मणिपुर** और **त्रिपुरा** (पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971)
- **सिक्किम** (36वाँ संविधान संशोधन (1975))
- **मिज़ोरम** (मिज़ोरम राज्य अधिनियम, 1986)
- **अरुणाचल प्रदेश** (अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986)
- **गोवा** (गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987)

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप - 1956
- पुदुचेरी - 1962
- चंडीगढ़ - 1966
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - 2019
- दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव - 2020

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/statehood-day-for-manipur,-tripura,-and-meghalaya